RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

ई–टेण्डर (E-Tender)

पैक्ड पिसे हुये मसाले (PACKED SPICES) की आपूर्ति का निविदा प्रपत्र

निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता : ....
(मय ईमेल, फैक्स, लैण्डलाइन एवं मोबाईल नं.)
....
....

जमा अमानत राशि का विवरण : ....

निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस का विवरण ....

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि, जयपुर द्वारा उत्पादनकर्ता/निर्माता/थोक विक्रेताओं से पैक्ड पिसे हुये मसाले (PACKED SPICES) यथा-हल्दी, धनिया एवं लालमिर्ची 200 ग्राम की थैली में पैकिंग कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर-स्टेप डिलेवरी करने हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक	–	**17.09.2012 तक**
निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	–	**18.09.2012 सायं 06.00 बजे**
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	–	**19.09.2012 सायं 04:00 बजे**

निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम

निविदा प्रपत्र वेबसाइट ***http://eproc.rajasthan.gov.in.*** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा वेबसाइट ***http://eproc.rajasthan.gov.in.*** पर इलेक्ट्रानिक प्रारुप में मात्र **ऑनलाईन** प्रस्तुत किए जा सकते है। **उक्त निविदाऐ ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। निविदा से संबंधित विवरण निगम की वेबसाइट** ***www.rsfcsc.org*** एवं **खाद्य विभाग की वेबसाइट** ***www.food.rajasthan.gov.in*** **पर देखा जा सकता है।**

निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 1000/-

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

क्रमांकः एफ 133(5)/राराखानाआनि/नॉन पीडीएस–पैक्ड मसाले/2011/ दिनांक :

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर द्वारा उत्पादनकर्ता/ निर्माता/थोक विक्रेताओं से **पैक्ड पिसे हुये मसाले (PACKED SPICES) यथा–हल्दी, धनिया एवं लालमिर्ची 200 ग्राम** की थैली में पैकिंग कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर–स्टेप डिलेवरी करने हेतु निम्न अनिवार्य योग्यताधारी उत्पादनकर्ता/निर्माता/थोक विक्रेताओं से मसालों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :

S. N.	Details of Tea	Approximate Required Qty. in Kgs. (Per Month)	Minimum Supplying Capacity per year (Kgs.)	Minimum Annual Group Turnover (Rs.)
1.	पैक्ड पिसे हुये मसाले (PACKED SPICES) यथा–हल्दी, धनिया एवं लालमिर्ची	750000 Kgs.	2250000 Kgs.	10.00 crore

1 अमानत राशि रूपये **9.00 लाख** का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि **RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.** के पक्ष में जारी हो, निविदा फार्म प्रस्तुत करते समय संलग्न करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि के बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

2 अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता निगम के आदेशानुसार पैक्ड पिसे हुये मसाले (PACKED SPICES) यथा–हल्दी, धनिया एवं लालमिर्ची की 200 ग्राम की पैकिंग में पैक कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर–स्टेप डिलेवरी करने हेतु बाध्य होगा।

ई–टेण्डर के ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण हेतु दिशा–निर्देश

1 निविदाए निर्धारित निविदा प्रारूप में ही प्रस्तुत की जायेगी। निर्धारित प्रारुप में अपलोड नहीं की गई निविदाऐं बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेंगी।

2 मूल निविदा के समस्त पृष्ठ मय परिशिष्ट आवश्यक रुप से निविदादाता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिए।

3 ई–टेण्डरिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु निविदादाता वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 19/2011 पत्र संख्या एफ1(1)एफ डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.9.2011 का अवलोकन कर सकते है।

4 निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक निविदादाता को सर्वप्रथम स्वयं को **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर्ड कराना होगा। ऑनलाईन टेण्डर में भाग लेने वाले निविदादाता को डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट क्रय करना होगा जिसके माध्यम से वे इलेक्ट्रानिक निविदा हस्ताक्षर कर सकते हैं। निविदादाता किसी भी CCA approved certifying Agency यथा TCS, Safe crypt, N code आदि से इसे खरीद सकते है या अतिरिक्त सहायता के लिए e-procurement cell, Department of IT&C, GOR से सम्पर्क कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पहले से वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें उक्त नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

5 निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in. पर इलेक्ट्रानिक प्रारुप में मात्र ऑनलाईन प्रस्तुत किए जा सकते है।

6 निविदा फार्म शुल्क राशि रू.1000/– का डी.डी. एवं निर्धारित अमानत राशि का डी.डी. जो कि **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.Jaipur** के पक्ष में जारी हो तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस रू. 1000/– का डी.डी. जो **M.D. RISL** के पक्ष में जयपुर मे देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा निविदा खोले जाने से पूर्व तीनों डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रस्तुत कर दिए जाने अनिवार्य है। निविदा फार्म शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केन्ड (Scanned) कॉपी ऑनलाईन बिड के साथ अपलोड की जानी चाहिए।

7 **निगम मुख्यालय में** क्रय समिति द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर **Online Tenders** उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोले जावेंगें।

8 किसी भी दशा में **Physical/Off-line tenders** स्वीकार नहीं किए जावेंगें।

9 वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने मे किसी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। निविदादाता को निर्धारित समय तक अपनी निविदा मय सभी आवश्यक दस्तावेजों के अपलोड कर देनी चाहिए।

10 ई–टेण्डर प्रस्तुत करनेसे पूर्व निविदादाता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सम्बन्धित दस्तावेज स्केन कर निविदा के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।

11 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

12 ई–टेण्डर प्रक्रिया के संबंध में निविदादाताओं को प्रशिक्षण हेतु **RISL** द्वारा नियमित आधार पर व्यवस्था की जाती है इस बाबत ईच्छुक निविदादाता **E-Procurement Cell, RISL** से सम्पक्र कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का दूरभाष नं. 0141–4022688 है।

प्रबंध निदेशक

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

निविदा का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से राजस्थान के सम्पूर्ण जिलो में स्थापित उचित मूल्य की दूकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक पैक्ड पिसे हुये मसाले (PACKED SPICES) यथा–हल्दी, धनिया एवं लालमिर्ची की 200 ग्राम की पैकिंग में डोर–स्टेप आपूर्ति करने हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यमों एवं प्रतिष्ठित मसालों निर्माताओं/उत्पादनकर्ताओं एवं थोक विक्रेताओं से मसालों की आपूर्ति हेतु निविदाऐं 01 अक्टुम्बर 2012 से एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है जिसकी अवधि आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिए बढाई जा सकती है।

सामान्य अनिवार्य शर्ते

1 **किसी भी दशा में Physical/Off-Line Tenders स्वीकार नहीं किए जावेंगें।**

2 निविदाए निर्धारित निविदा प्रारूप में ही प्रस्तुत की जायेगी। निर्धारित प्रारुप में अपलोड नहीं की गई निविदाऐं बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेंगी।

3 मूल निविदा के समस्त पृष्ठ मय परिशिष्ट आवश्यक रुप से निविदादाता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिए।

4 **निविदा फार्म शुल्क राशि रू.1000/– का डी.डी. एवं निर्धारित अमानत राशि का डी.डी. जो कि RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. JAIPUR के पक्ष में जारी हो तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस रू. 1000/– का डी.डी. जो M.D. RISL के पक्ष में जयपुर मे देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निविदा खोले जाने से पूर्व तीनों डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रस्तुत कर दिए जाने अनिवार्य है। निविदा फार्म शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केन्ड (Scanned) कॉपी ऑनलाईन बिड के साथ अपलोड की जानी चाहिए।**

5 **निविदादाता को निर्धारित समय तक अपनी निविदा अपलोड कर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सम्बन्धित/आवश्यक दस्तावेज स्केन (Scan) कर निविदा के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।**

6 निविदा दिनांक **18.09.2012 को सायं 6 बजे** तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। दिनांक **19.09.2012 को सायं 4 बजे** क्रय समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **निगम मुख्यालय में** सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी।

7 निगम न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगा।

8 जो भी निविदायें निर्धारित समय व तिथि के बाद अपलोड होगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।

9 **निविदायें दोहरे लिफाफा पद्वति के आधार पर प्रस्तुत करनी होगी।** प्रथम लिफाफा **"तकनीकी प्रस्ताव"** तथा द्वितीय लिफाफा **"वित्तीय प्रस्ताव"** होगा । तकनीकी रुप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव अर्थात वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

मसालों की आपूर्ति के संबंध में तथा तकनीकी मापदंडों की आवश्यक शर्तो का विवरण

1. निविदादाता कंपनी को अपने टर्न ओवर के प्रमाणीकरण हेतु गत् 2 वर्षो के Audited Accounts (e.g Balance sheet/Profit & Loss Account etc.) प्रस्तुत करने होंगे।
2. निविदादाता कंपनी को CST/RST अथवा TIN Registraton Number की प्रमाणित प्रति एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी latest assessment Order की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होंगी।
3. निविदादाता कंपनी को अपनी निविदा के साथ PAN NO. की प्रमाणित प्रति एवं गत् 2 वर्षो के Income Tax Assessment Order की प्रतिलिपियां संलग्न करनी होगी।
4. निविदादाता कंपनी को आपूर्ति किये जाने वाले मसालों की Granding & Packeging Plant एवं स्थान की जानकारी उपलब्ध कराई जानी होगी।
5. निविदादाता का राजस्थान में रिटेल नेटवक्र होना अनिवार्य है। जिसकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी होगी। यदि आवेदनकर्त्ता फर्म सूची संलग्न नही करता है, तो इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेगा कि यदि उसे कार्यादेश मिलता है, तो कार्यादेश से पूर्व रिटेल नेटवक्र की सूची उपलब्ध करवायेगा।
6. निविदादाताओं को **निर्धारित गुणवत्ता के** Packed Each Powder SPICES के दो–दो सील्ड नमूने पहचान चिन्हों सहित उपलब्ध करवाने होंगे। बिना नमूनों के निविदा स्वीकार नही की जायेगी। सफल निविदादाता को अनुमोदित Packed Powder SPICES के 12 सैम्पल उसी दिन उपलब्ध करावाने होंगे।
7. निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबन्ध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा यदि निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल पावर आफ एटर्नी के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटर्नी जारी किया जाता है तो पावर ऑफ एटर्नी दस्तावेज पर सभी भागीदरों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
8. अमानत राशि के अभाव में निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि **RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD., JAIPUR** के पक्ष में शिड्यूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जायेगी। असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रुप से स्वीकार करने के बाद यथासंभव शीघ्र लौटा दी जायेगी।
9. अमानत/बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत (forfeit) कर लिया जायेगा :–
   - जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता है अथवा निविदा प्रक्रिया प्रत्यक्ष /परोक्ष रूप से बाधित करता है।
   - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, निष्पादित नहीं करता है।
   - जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
   - जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने तथा आपूर्ति करने में असफल रहता है।

10. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को कार्याआदेश दिये जाने की दिनांक से सात दिवस के भीतर निविदा मूल्य/कार्यादेश के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि जमानत के रूप में जमा कर कॉरपोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। जमानत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट एवं अन्य सरकारी प्रत्याभूति जैसे– NSC, Bank Guarantee जो कि Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Jaipur के नाम से बन्धक होगा, के माध्यम से जमा किया जावेगा। सफल निविदादाता की दो प्रतिशत अमानत राशि को 5 प्रतिशत जमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

11. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहत (forfeit) किया जा सकेगाः–
   अ. जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
   ब. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
   स. प्रतिभूति निक्षेप को समपृहत करने के मामलें में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

12. जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

13. कार्यादेश के अनुसार अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने एवं अनुबन्ध अवधि के समाप्त हो जाने पश्चात् अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं होने पर प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी का प्रतिदाय किया जायेगा।

14. पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) की क्रय निविदा में उल्लेखित क्रय मात्राएं अनुमानित है, जिसमें बाद में जिलों की मांग के आधार पर दर्शायी गयी मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है।

15. पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) का क्रय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। राज्य सरकार की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) का क्रय रोका जा सकता है। इसमें अगर आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नही होंगी।

16. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नही होगा। निविदाकार/पैक्ड पिसे हुये मसालों प्रदायकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) का प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लाईसेंस परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम का कोई दायित्व नहीं होगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की रहेगी। अन्यथा इस स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा।

17. निविदा भरते समय निविदाकार अपनी तरफ से किसी प्रकार की शर्त/अन्यथा टिप्पणी का उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित की जा सकती है तथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

18. यदि अनुबन्धित निविदाकार निगम द्वारा दिये गये पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) प्रदाय आदेश के अनुसार पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) प्रदाय नही करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किये स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्म से न्यूनता के क्रम में नियमानुसार अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उद्यम/संस्था से इस अनुमोदित मसालों निर्माता/उत्पादनकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ता से अनुबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जोखिम एवं

खर्चो पर पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) का प्रदाय आदेश देने के सात दिवस के बाद से आनुपातिक तौर पर पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) की आपूर्ति करा लें। इस स्थिति में निगम को हुई क्षति/हानि एवं खर्चो की स्वीकृत दर का 10 प्रतिशत या वास्तविक जो अधिक हो, भुगतान करने का समस्त उत्तरदायित्व सफल अनुबंधित आपूर्तिकर्त्ता का होगा।

19. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को मसालों की पैंकिग पर निगम द्वारा जारी हॉलोग्राम लगाया जाना अनिवार्य होगा। हॉलोग्राम की लागत अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा ही वहन की जायेगी।
20. वित्तीय प्रस्ताव में अंकित दरें शब्दों एवं अंकों में लिखी जानी चाहिये। इसमें त्रुटियां (काट–छांट) उपरिलेखन एवं फ्लूड द्वारा करेक्टिंग नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ट रुप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित इस पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
21. निविदादाता द्वारा दी गई दरें अनुबंध तिथि से 4 माह के लिए वैध होगी। प्रत्येक 4 माह के पश्चात् दरों में परिवर्तन किया जावेगा।
22. मसालों की दरों में परिवर्तन का आधार मंडी भावों/NCDX/MCX के साथ सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किये गए 4 माह के बाजार भावों की औसत दर एवं औसत दर में अनुबंध के समय अनुमोदित दरों में कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम हुआ, के आधार पर आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। परन्तु इसमें प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा, उक्त निर्णय आपूर्तिकर्त्ता फर्म के लिए बाध्यकारी होगा।
23. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को अनुबंध निष्पादन के समय अनुमोदित दर तथा निगम द्वारा उचित मूल्य की दुकानधारियों को, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों को विक्रय हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य की अंतर राशि जो कि कार्यादेश में दर्शायी गई मात्रा के बराबर की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. सफल आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को अनुमोदित दरों पर दिये गये कार्यादेशों के क्रम में एक वर्ष के लिए अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित किये जाने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी जिसकी अवधि आपसी सहमति के आधार पर आगामी 6 माह तक के लिए बढाई जा सकती है, जो अनुबंधित निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य होगा।
25. निविदा नियमों एवं शर्तो का पालन नही किये जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर निविदाकर्ता की फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया जाएगा।
26. क्रय की अन्य शर्ते राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्तर्गत भण्डार क्रय नियमों के अनुसार होगी तथा निविदादाता उक्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।
27. कॉर्पोरेशन का कार्याआदेश अहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
28. किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने अथवा पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
29. प्राप्त निविदा के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवा/सामान संबंधी शर्तें विस्तृत विवरण आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसको इन शर्तों या विस्तृत विवरण के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिये तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
30. सफल निविदाकार द्वारा 500/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पर निगम के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध किया जाना अनिवार्य है।

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

मसालों की आपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक शर्तो का विवरण

1. पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) को 200 ग्राम नेट वजन की पॉलीपैक (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) में प्रदाय की जाएगी। पॉलीपैक पर ब्रांडिंग का प्रारूप निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा, जिसकी प्रिंटिंग निविदादाता करायेगा। पैक्ड पिसे हुये मसालों (PACKED SPICES) के ब्रांडिंग/नाम/लोगो की प्रति आपूर्ति आदेश के साथ दी जावेगी, पॉली फिल्म साफ, एक समान टैक्सचर की, ट्रांसपेरेंट, मजबूत बिना किसी प्रकार के छेद की होगी। मसालों की पैकिंग से सम्बन्धित नमूना निगम द्वारा दी गई डिजाईन में प्रिन्ट कराकर, पैकिंग के पूर्व अनुमोदित कराना होगा व तत्पश्चात् ही निगम से सहमति मिलने पर ही मसालों की पैंकिग कर अनुमोदित कंपनी के द्वारा आपूर्ति की जायेगी।

2. मसालों के निम्नानुसार निर्धारित पैकिंग मेटेरियल के प्रमाणीकरण के संबंध में अनुमोदित आपूतिकर्त्ता कंपनी को Indian Institute of Packeging/NABL प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

SIZE & CONFIGURATION OF LAMINATED FOR 200 GMS SPICES
(IF ANY THING MISSING IN PACKING MATERIAL THAN IT SHOULD ONLY BE APPLICABLE AS PER THE FOOD SAFTEY AND STANDARDS ACT, 2006 & 2011)

NET WEIGHT	COMBINATION	MATERIAL CONFIGURATION
200 Gms	210X320	12 MIC chemical coated bare PET+12MIC chemical cated BARE PET+40 MC special grade poly.
Paper Size	170X240 MM	170 MM Height, 220MM Width, 20MM Cleaning (Centre Ceal)
Puoch Size	170X110 MM	16.8 Polyster, 16.8 Matelised Polyster, 32.34 Poly, 1 JNK, 2.5 Adhesive (1+1.5)

3. 200 ग्राम मसालों के 50 पॉलीपैक, 10–10 किलो के वजन में नये PP बैग्स (जिसकी साईज 15''X24'' एवं जिसका वज़न 35 ग्राम से 40 ग्राम (+/- 5%) होगा) में पैक कर प्रदाय किये जायेंगे। पैक्ड पिसे हुये मसालों (Packed Spices) परिवहन के साथ 500 खाली पॉलीपैक का भी भंडारण किया जावेगा, जो कि कटी–फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके।

4. मसालों की निविदा हेतु जिन निविदादाता फर्म के पास मसालों की पैकिंग प्लांट एवं ISO प्रमाणपत्रधारक को प्राथमिकता दी जावेगी।

5. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा मसालों की जांच NABL प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशाला से PFA/ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार लैब रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

6. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को 1 माह पूर्व ही आपूर्ति की जाने वाली मसालों का सैम्पल एवं NABL प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशाला से जारी लैब रिपोर्ट निगम में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी तथा निगम मुख्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही जिलों में मसालों की आपूर्ति की जावेगी। मसालों की आपूर्ति से पूर्व आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा संबंधित जिला प्रबंधक को भी अग्रिम तौर पर सूचित किया जाना होगा।

7. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को राज्य की प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों/डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों पर (परिशिष्ट ''ग'' के अनुसार) कार्यादेश के पश्चात् प्रथम माह में 10–10 किग्रा प्रत्येक प्रकार के मसालों (200 ग्राम के 50 पैकेट) की जानी होगी तत्पश्चात् मांग के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।

8. आपूर्तिकर्ता को प्रथम वितरण आदेश दिनांक/अनुबंध के निष्पादन दिनांक से अधिकतम 30 दिवस के अन्दर वांछित मसालों का प्रदाय करना होगा, आपूर्ति में 30 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर निम्नानुसार पेनल्टी की राशि वसूल की जावेगी अथवा आपूर्तिकर्ता की जमा जमानत राशि में से काट ली जावेगी।

क. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –	2.50%
ख. एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए –	5.00%
ग. आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए –	7.50%
घ. विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए –	10.00%

9. प्रथम कार्यादेश के पश्चात् परवर्ती/आगामी माहों में मसालों की आपूर्ति जिला प्रबंधक एवं उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों की मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति किया जाना अनिवार्य होगी।

10. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को निगम द्वारा आवंटित जिलों की उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति की गई मसालों की पाक्षिक रूप से सूचना निगम मुख्यालय के साथ–साथ संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय में अनिवार्य रूप से भिजवानी होगी।

11. निगम अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी के साथ अनुबंध के रहते हुए भी अपर्याप्त मात्रा में मसालों की प्रदाय की दशा में मसालों की सुचारू रूप से आपूर्ति हेतु ऐसे अन्य उपाय/व्यवस्था कर सकता है जो मसालों के प्रदाय को निर्बाद्ध और गति पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। प्रदाय पूर्ण नही होने/असफल होने की स्थिति में प्रबन्धन को पूरे अधिकार होंगे कि वह नियुक्त अनुबन्धित आपूर्तिकर्त्ता के साथ–साथ ऐसी समानान्तर व्यवस्था से मसालों की पूर्ति करावें। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त जोखिम/भार असफल प्रदायकर्ता की होगी। अनुबन्धित आपूर्तिकर्त्ता की कोई भी आपत्ति ऐसी दशा में मान्य नही होगी।

12. प्रदाय की जाने वाली मसालों की क्वालिटी निर्धारित मानक स्तर से कम पायी जाती है तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा। इसमें निविदादाता की आपत्ति मान्य नही होगी।

13. प्रदाय किये गए मसालें निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता/मानक स्तर की नही पायी जाने पर प्रदायकर्ता को मसालें मूलतः वापस किये जा सकते है जिसे प्रदायकर्ता अपने खर्चो से उठायेगा तथा उसमें होने वाली हम्माली/परिवहन/भण्डारण आदि समस्त खर्चो की वसूली प्रदायकर्ता की देयता से की जाएगी।

14. द्वितीय न्यूनतम दर दाता को नियमानुसार प्रथम न्यूनतम दर दाता के विकल्प के रूप में अथवा मसाला आपूर्ति क्षेत्र के विस्तार के लिए निगम के लिए अनुबंधित किया जा सकेगा। यह प्रावधान प्रथम न्यूनतम दर दाता के विफल होने अथवा असहमति की दशा में कार्यकारी होगी।

15. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को अपने लेखों का संधारण जैसे स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, कैश बुक, बिल आदि का संधारण करना होगा एवं जांच हेतु निगम के अधिकारी/कर्मचारियों अथवा निगम द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाने को गंभीर अनियमितता माना जावेगा एवं इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को मसालों की **अन्तर राशि** (उचित मूल्य दुकानदारो के विक्रय मूल्य की राशि – अनुमोदित दर) को **आगामी माह की 10 तारीख तक** निगम मुख्यालय में जमा करानी होगी तथा इसकी सूचना संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय में भी दी जानी अनिवार्य होगी, **अन्यथा विलम्ब हेतु 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से राशि वसूली जायेगी**।

17. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी के विरुद्ध यदि निविदा अवधि एवं उसके पश्चात भी लेखो की जांच में विसंगतियां पाई जाती है तो राशि ब्याज सहित तुरन्त जमा करानी होगी।

18. निविदादाता को The Food Saftey and Standards Act, 2006 एवं 2011 के समस्त नियमों व प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा उल्लंघन की दशा में इसके विरूद्ध एक्ट के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

19. अनुमोदित आपूर्तिकर्ता द्वारा मसालों के प्रत्येक पैक पर **तौल एवं माप अधिनियम व डिब्बा बंद नियमों** के अन्तर्गत सभी सूचनाऐं अनिवार्य रूप से अंकित करानी होगी जैसे NAME & FULL ADDRESS OF MANUFACTURER/PACKER, NAME OF COMMODITY, NET WEIGHT, MAXIMUM RETAIL PRICE INCLUDING ALL TAXES OF COMMODITY AND MONTH & YEAR OF PACKING OF COMMODITY /BEST BEFORE SIX MONTHS OF MANUFACTURING AND PACKING OF SPICE / LOT NO. .... प्लास्टिक पैक उत्तम क्वालिटी तथा नॉन टॉक्सिक सामग्री से निर्मित होना आवश्यक होगा तथा पैकेट पर नाम व लोगो निगम द्वारा दिये अनुसार प्रिन्ट करवाना होगा तथा पॉलिपैक पर ***MARKETED BY RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. (A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)*** अंकित करवाना होगा।

20. निविदादाता द्वारा मसालों की पैकिंग करने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकानों एवं अन्य निर्दिष्ट स्थान पर मसालों की आपूर्ति सही मात्रा, गुणवत्ता में दी जावेगी तथा निगम द्वारा दिये गए विक्रय सम्बन्धी आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावेगी। निगम द्वारा मसालों के उत्पादन एवं पैकिंग स्थान तथा उचित मूल्य की दुकान पर मसालों की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में सैम्पलिंग की जावेगी। सेम्पल में कमी पाये जाने पर आपूर्ति कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा एफ.एस.एस.ए. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

21. आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/कानूनों/नियमों की पूर्ण पालना करनी अनिवार्य होगी।

घोषणा पत्र

मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों को पढ़ लिया है एवं इनको मान्य एवं स्वीकार करते हुये इनकी पालना के लिये वचनबद्ध है तथा निगम की शर्तों पर बिना शर्त हमारी सहमति देते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

मसालों के तकनीकी मापदण्ड़

22. यह कि निविदादाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले **मसालों The Food Saftey & Standards Act 2006** के **The Food Saftey & Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 के Chapter 2 के Rule No. 2.9.3 के अनुसार पिसी हुई लाल मिर्च , 2.9.7 के अनुसार पिसा हुआ धनिया & 2.9.18 पिसी हुई हल्दी के अनुसार निम्नानुसार होने चाहिये** :–

S. N.	Named of Packed Powder Spices	General characteristic	Special characteristic	
1.	The Food Saftey & Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 ds Chapter 2 ds Rule No. 2.9.3 ds vuqlkj Chillies (Lal Mirch) Powder	lal Mirch Powder Means the powder obtained by grinding clean ripe fruits or pods of Capsicum annum L and Capsicum frutsecens L. It shall be free from mould, living and dead insects, insect fragments, rodent contamination. The powder shall be dry, free from dirt, extraneous colouring matter, flavouring matter, mineral oil and other harmful substance. The chilli powder may bcontain any edible vegetable oil to a mixmum limit of 2.0 percent by weight under a label declaration for the amount and nature of oil used.	Moisture	Not more than 11.0 percent by weight
			Total Ash on dry basis	Not more than 8.0 percent by weight
			Ash insolubla in dilute HCI on dry basis	Not more than 1.3 percent by weight
			Crude fibre	Not more than 30.0 percent by weight
			Non-volatile ether extract on dry basis	Not more than 12.0 percent by weight
2.	The Food Saftey & Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 ds Chapter 2 ds Rule No. 2.9.7 ds vuqlkj Coriander (Dhania) Powder	Coriander (Dhania) Powder means the powder obtained by grinding clean, sound, dried mature fruits of Coriandrum sativum L. It shall be in the form of rough or fine powder. It shall have typical aroma and shall be free from mustiness. It shall be free from module, living and dead insects, insect fragments, rodent contaminaction; the powder shall be free from added colour, starch, bleach or presentative.	Moisture	Not more than 9.0 percent by weight
			Volatile oil content on dry basis	Not more than 0.09 percent by weight
			Total Ash on dry basis	Not more than 7.0 percent by weight
			Ash insolubla in dilute HCI on dry basis	Not more than 1.5 percent by weight
3.	The Food Saftey & Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 ds Chapter 2 ds Rule No. 2.9.18 ds vuqlkj Turmeric (Haldi) Powder	Turmeric (Haldi) Powder means Turmeric (Haldi) Powder means the powder obtained by grinding dried rhizomes or bulbous roots of Curcuma Longa L. The powder shall havecharacteristic odour and flavor and shall be free from mustiness or other foreignodour. It shall be free from module, living and dead insects, insect fragments, rodent contaminaction. The powder shall be free from any added colouring matter including Lead Chromate and morphologically extraneous matter including foreign starch.	Moisture	Not more than 10.0 percent by weight
			Total Ash on dry basis	Not more than 8.0 percent by weight
			Ash insolubla in dilute HCI on dry basis	Not more than 9.0 percent by weight
			Colouring power expressed as curcuminoid content on dry basis	Not more than 1.5 percent by weight
			Total Starch	Not more than 60.0 percent by weight
			Test for lead chromate	Negative

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

वित्तीय बिड

PROFORMA FOR FILLING IN RATES FOR THE SUPPLY OF PACKED SPICES

Name of Tenderer: ____________________

Address : ____________________

A	For 1 kg. Packed **पीसी हुए लाल मिर्ची** by weight i.e.(in Five packets of 200 gms. each)	Rates inclusive of Vat & All other Taxes	
		FOR delivery at FPS dealers/Dairy Boths/Confed Stores	
		Rates (in feigure)	Rates (in word)

B	For 1 kg. Packed **पीसी हुए हल्दी** by weight i.e.(in Five packets of 200 gms. each)	Rates inclusive of Vat & All other Taxes	
		FOR delivery at FPS dealers/Dairy Boths/Confed Stores	
		Rates (in feigure)	Rates (in word)

C	For 1 kg. Packed **पीसा हुआ धनिया** by weight i.e.(in Five packets of 200 gms. each)	Rates inclusive of Vat & All other Taxes	
		FOR delivery at FPS dealers/Dairy Boths/Confed Stores	
		Rates (in feigure)	Rates (in word)

आवश्यक नोट

1. निविदादाता द्वारा दी गई दरें अनुबंध तिथि से 4 माह के लिए वैध होगी। प्रत्येक 4 माह के पश्चात् दरों में परिवर्तन किया जावेगा।
2. मसालों की दरों में परिवर्तन का आधार मंडी भावों/NCDX/MCX के साथ सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किये गए 4 माह के बाजार भावों की औसत दर एवं औसत दर में अनुबंध के समय अनुमोदित दरों में कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम हुआ, के आधार पर आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। परन्तु इसमें प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा, उक्त निर्णय आपूर्तिकर्त्ता फर्म के लिए बाध्य होगा।

(वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे में दी जानी है, इसे तकनीकी निविदा के लिफाफे में नहीं डाला जावे अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

निविदाकार अपना पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो यहां चिपकाऐं

प्रेषक,

.... (मसालों प्रदायकर्ता का नाम
.... एवं पूर्ण पता)
....

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.,
जयपुर (राजस्थान)

प्रिय महोदय,

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर द्वारा **पैक्ड पिसे हुये मसाले (PACKED SPICES) यथा–हल्दी, धनिया एवं लालमिर्ची 200 ग्राम** की थैली में पैकिंग कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर–स्टेप डिलेवरी करने हेतु (As per The Food Saftey and Standards [Food Products Standards and Food Additives] Regulations, 2011) प्रकाशित निविदा सूचना को पढकर हमने/मैंने यह निविदा फार्म अपलोड किया है। हमने/मैनें निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशो/निविदा/शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये संविदा विवरण को भलीभांति पढ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं निविदा शर्तो के पालन के लिए सहमत हैं/हूं।

2. हम/मैंने Packed Powder Spices राजस्थान की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों पर डोर स्टेप डिलीवरी करने (जिसमें दरें समस्त करों सहित एवं लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित) संबंधी प्रकाशित निविदा के क्रम में यह निविदा भर रहे है। हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है–

01	निविदाकार का नाम व पता	....
02	दूरभाष क्रमांक कार्यालय	....
	इंडस्ट्रीज	....
	ई–मेल	....
	मोबाइल नं.	....
03	निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म /कंपनी /स्वामित्व /हिन्दू अविभाजित परिवार)	....
04	मुखिया (कर्ता) का नाम एवं पता	....
05	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम /पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	....

06	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	....
07	फर्म का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	....
08	आयकर रिटर्न तथा पेन की सत्यापित प्रति संलग्न करें	....
09	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखे)	....
10	मसालों प्रदाय कार्य का अनुभव (वर्षो में) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
11	वर्तमान मे किस शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में मसालों प्रदाय कार्य कर रहे है, विवरण दें।	....
12	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि (EMD) का विवरणः	
	रूपये	....
	बैंक ड्राफ्ट नं.	....
	बैंक का नाम	....
	दिनांक	....
13	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	1. ....
		2. ....
		3. ....

3. यदि निगम द्वारा हमे/मुझे Packed Powder Spices प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।

4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते है/करता हूँ कि निविदा फार्म में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

फर्म का नाम : ....

पूरा पता : ....

पदनाम : ....

मुहर : ....

नोटः— इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे होने चाहिए एवं संपूर्ण रिक्त स्थानों में प्रविष्टि अति आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

निविदाकार का नाम ....

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

LIST OF DISTRICTWISE FPS

क्र. सं.	नाम जिला / संभाग	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणी अनुसार स्थिति							आपूर्ति किये जाने वाले मसालों की प्रारम्भिक मासिक मात्रा (किलो में)
		शहरी		ग्रामीण		कुल			प्रति दुकान पर 30 किलो (प्रति मसाला 10 किग्रा की पैकिंग) मात्रा के आधार पर
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	31	417	144	413	175	830	1005	30150
2	अलवर	19	103	83	766	102	869	971	29130
3	बांसवाडा	2	48	100	489	102	537	639	19170
4	बारां	8	67	27	411	35	478	513	15390
5	बाडमेर	1	109	183	711	184	820	1004	30120
6	भरतपुर	6	192	53	586	59	778	837	25110
7	भीलवाडा	29	112	306	403	335	515	850	25500
8	बीकानेर	21	189	67	517	88	706	794	23820
9	बूंदी	2	92	44	250	46	342	388	11640
10	चित्तौडगढ	7	100	89	419	96	519	615	18450
11	चूरू	5	231	125	578	130	809	939	28170
12	दौसा	2	63	74	577	76	640	716	21480
13	धौलपुर	8	72	45	276	53	348	401	12030
14	डूंगरपुर	3	43	108	374	111	417	528	15840
15	श्रीगंगानगर	42	186	138	335	180	521	701	21030
16	हनुमानगढ	42	174	28	432	70	606	676	20280
17	जयपुर	45	666	121	746	166	1412	1578	47340
18	जैसलमेर	9	19	31	257	40	276	316	9480
19	जालौर	6	54	132	428	138	482	620	18600
20	झालावाड	5	79	61	407	66	486	552	16560
21	झुन्झुनूं	5	149	67	517	72	666	738	22140
22	जोधपुर	202	189	275	574	477	763	1240	37200
23	करौली	4	76	50	410	54	486	540	16200
24	कोटा	29	316	60	330	89	646	735	22050
25	नागौर	6	194	88	827	94	1021	1115	33450
26	पाली	8	191	127	439	135	630	765	22950
27	प्रतापगढ	1	26	47	221	48	247	295	8850
28	राजसमंद	6	46	69	361	75	407	482	14460
29	सीकर	1	232	84	559	85	791	876	26280
30	सिरोही	8	47	61	274	69	321	390	11700
31	सवाईमाधोपुर	3	92	28	410	31	502	533	15990
32	टोंक	1	111	60	388	61	499	560	16800
33	उदयपुर	26	221	186	767	212	988	1200	36000
महायोग		**593**	**4906**	**3161**	**15452**	**3754**	**20358**	**24112**	**723360**

- *आपूर्ति एवं मांग के अनुसार मसालों की मासिक मात्रा में कमी/वृद्धि हो सकेगी।*